भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-161

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय

161. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित किए जा रहे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत सात वर्षों के दौरान बंद हुए ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है और इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान में रिक्त पड़े शिक्षकों के कुल पदों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) संबंधी मानदंडों को पूरा करने हेतु योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ.) क्या पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद शिक्षकों की असमान तैनाती के कारण प्रतिकूल पीटीआर की समस्या बनी हुई है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा शुरू की है। यह योजना तीन पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा को शामिल करके बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह

सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों की कुल संख्या इस प्रकार है:

भारत

प्रकार	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
सरकारी	1017660	623026	272387	53206	69041

उत्तर प्रदेश

प्रकार	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
सरकारी	137102	87777	46484	1523	1318

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार/अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्कूलों को खोलना और बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। नए स्कूल खोलना/मौजूदा स्कूलों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष काम किया जाता है।

यूडाइज़, यूडाइज़+ रिपोर्ट के अनुसार विगत सात वर्षों में देश और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या इस प्रकार है:

	सरकारी स्कूलों की कुल संख्या						
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
भारत	1094543	1083747	1032570	1032049	1022386	1016010	1017660
उत्तर प्रदेश	163114	163142	137638	137068	137024	137003	137102

(ग) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र तथा बढ़ी हुई छात्र संख्या/नए स्कूलों के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे

कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षकों की भर्ती का दायित्व एक व्यापक प्रौद्योगिकी आधारित योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर है।

केंद्र सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्श के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती का अनुरोध करता है।

*****